कितनी है और अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक मामले के लिए सरकार द्वारा अनुमति देने में कितना-कितना समय लगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन: (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसने 138 मामलों में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से लोकसेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जो 30.06.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार, मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी हेतु लम्बित थे। उसके पश्चात्, 01 जुलाई, 1997 से 30 नवम्बर, 1998 के बीच की अवधि में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा लोक-सेवकों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को 330 मामले और भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कुल 468 मामलों (138 + 330) में से 398 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे एक मामले में सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामला मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने योग्य नहीं है। शेष रहे 69 मामले, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के सिलसिले में सक्षम प्राधिकारियों के पास आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। कुछ मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई किए जाने में विलम्ब, उनके जटिल स्वरूप का होने, उनके संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, विधि-कार्य-विभाग तथा संबंधित राज्य-सरकारों जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से सलाह लिए जाने संबंधी अपेक्षा तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक-आदेशों के कारण हुआ है।

(ङ) मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में है।

विवरण

398 मामलों में लोक-सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय

1.	1 महीने के भीतर	-	64
2.	3 महीने के भीतर	-	97
3.	6 महीने के भीतर	-	105
4.	6 महीने से अधिक	-	132
	कुल	-	398

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में रिक्तियां

2136. **प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय से संबंधित विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी॰बी॰आई॰) में रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। गृह-मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति ने, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय की वर्ष, 1998-99 की अनुदान-मांगों के बारे में अपनी 44वीं रिपोर्ट में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में विशेषत: बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए, रिक्त पदों को भरे जाने की ज़रूरत दोहराई है।

(ग) 31.10.1998 को मौजूद स्थिति के अनुसार, रिक्त चल रहे 787 पदों में से 700 से अधिक पद भरने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पदों को भरने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चल रही कार्रवाई में पदों का परिचालन आवेदन पत्रों का आमंत्रित किया जाना, चुने गये उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जाना तथा नियुक्ति-पत्रों का जारी किया जाना शामिल है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया में संघ-लोक-सेवा-आयोग, कर्मचारी चयन-आयोग, राज्य-सरकारों, अन्य मंत्रालयों/संगठनों इत्यादि जैसे अभिकरणों से समन्वय तथा परामर्श किया जाना जुड़ा होता है। जुलाई 01, 1998 के पश्चात्, कुल 135 रिक्त पद भर लिए गए हैं। पुलिस-अधीक्षक तथा उससे ऊपर की रैंक के 14 अधिकारियों को उपर्युक्त ब्यूरो में लिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Supreme Court Decision on Concessions to SC/ST Employees

2137. SHRI JIBON ROY:
SHRI C.O. POULOSE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the judgement of the Supreme Court of India in the case of Vinod Kumar Vs. Union of India striking down some concessions extended to employees belonging to SC/ST communities, is under examination by Government; and

(b) if so, what steps Government propose to take to protect the existing benefits to those categories of employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) The Supreme Court in its judgement in the case of S. Vinod Kumar has held that the provision of lower qualifying marks/lesser standards of evaluation in the matter reservation in promotion is not permissible under Article 16 (4) in view of the command contained in Article 335 of the Constitution. This judgement was itself based on the 9 Judges Constitutional Bench Judgement of the Supreme Court delivered on 16.11.1992 in the case of Indira Sawhney Vs. Union of India. The decision of the Supreme Court becomes the law of the land in terms of Article 141 of the Constitution. Accordingly, orders were issued by this Department on 22.7.97, withdrawing only those relaxed standards for SCs/STs in promotion as were held to be not permissible. Other relaxations in promotion and all the existing relaxations in direct recruitment still continue.

Recommendations of Fifth Pay Commission

2138. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE:
SHRI C.O. POULOSE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Fifth Central Pay Commission had recommended for career progression of the Central Government employees outlining certain criteria for timely upgradation of posts/status;

(b) If so, the reasons for Government not taking any decision on this recommendation which is widely affecting the lower grade Central Government employees;

(c) whether Government are aware that a large number of lower grade employees are experiencing stagnation in their career and thereby deprived of promotional avenues;

(d) if so, whether Government will favourably consider the recommendations of the Fifth Pay Commission on career progression; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir. The Fifth Central Pay Commission has recommended Assured Career Progression Scheme for Central Government employees.

(b) to (e) The recommendations are under consideration of the Govt. However, Government has already decided in principle to allow atleast two financial upgradations to Group-C and Group-D Central Government employees in a career. The Modalities in this regard are being worked out.

केन्द्रीय भण्डार की शाखा खोला जाना

2139. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कालोनी लक्ष्मीबाई नगर में केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन कालोनी के निवासियों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार इन कालोनी के निवासियों को पेश आ रही गंभीर समस्या को देखते हुए वहां नवयुग स्कूल के सामने एक उचित मूल्य दुकान (एफ॰पी॰एस॰) के साथ-साथ केन्द्रीय भण्डार की एक शाखा खोलने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?